**प्रेस नोट**
**दिनांक 26.06.2025**

## थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–185/25 धारा 191(2),191(3),190,115(2),352,351(3),109 बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों– 01. विकास सिंह पुत्र श्री भेलर सिंह उर्फ गंगा सिंह निवासी ग्राम जमादारपुरवा भगोहर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. सुनील कुमार सिंह उर्फ ननके पुत्र श्री काली प्रसाद सिंह निवासी कोमर नौबस्ता थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चन्दापुर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 21.06.2025 को वादी सत्यदेव मिश्रा अपने ग्राम भगोहर स्थित मकान पर सफाई कार्य करवा रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण विकास सिंह, विक्की सिंह, गंगा सिंह उर्फ भेलर, सुनील कुमार सिंह उर्फ ननके सहित करीब 13/14 व्यक्ति हथियारों से लैस होकर पहुंचे और गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने सुरेन्द्र मिश्रा पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा विपिन दूबे और विक्की सिंह पर धारदार हथियारों से वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। वादी की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 26.06.2025 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 02 वांछित अभियुक्तों– 01. विकास सिंह पुत्र श्री भेलर सिंह उर्फ गंगा सिंह निवासी ग्राम जमादारपुरवा भगोहर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. सुनील कुमार सिंह उर्फ ननके पुत्र श्री काली प्रसाद सिंह निवासी कोमर नौबस्ता थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चन्दापुर चौराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण–**

01. विकास सिंह पुत्र श्री भेलर सिंह उर्फ गंगा सिंह निवासी ग्राम जमादारपुरवा भगोहर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. सुनील कुमार सिंह उर्फ ननके पुत्र श्री काली प्रसाद सिंह निवासी कोमर नौबस्ता थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0स0–185/25 धारा 191(2),191(3),190,115(2),352,351(3),109 बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम–**

01. उ0नि0 रामधारी दिनकर।
02. हे0का0 अतुल कुमार सिंह।
03. का0 मंजीत सिंह।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 26.06.2025**

**थाना को0 नगर पुलिस द्वारा छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल व 2500 रू0 बरामद–**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त किशन कुमार श्रीवास्तव पुत्र राधेश्याम श्रीवास्तव निवासी सिविल लाइन निकट कचहरी रेलवे स्टेशन थाना को0नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल व 2500/– रू0 बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 25.06.2025 को वाद बबुल्ला जोल्हा नि0 कपिलवस्तु नेपाल अपनी बेटी के साथ गोण्डा रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद था। इसी दौरान एक अपाचे सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी बेटी का पर्स छीनकर फरार हो गया था। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 26.06.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त किशन कुमार श्रीवास्तव पुत्र राधेश्याम श्रीवास्तव निवासी सिविल लाइन निकट कचहरी रेलवे स्टेशन थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गोण्डा कचहरी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल व 2500/– रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**

01. किशन कुमार श्रीवास्तव पुत्र राधेश्याम श्रीवास्तव निवासी सिविल लाइन निकट कचहरी रेलवे स्टेशन थाना को0नगर गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0सं0– 496/25 धारा 309(6) व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी–**

01. 2500/– रू0 नगद
02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल।

**गिरफ्तार कर्ता टीम–**

01. उ0नि0 अंकित उपाध्याय।
02. हे0का0 अजय पाण्डेय।
03. का0 विजय कुमार।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 26.06.2025**

## थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पक्के बाबा मजार बहद ग्राम सिसई बहलोलपुर के पास से अभियुक्त कृष्ण कुमार चौरासिया उर्फ ननके पुत्र माता प्रसाद नि0 ग्राम नरौना भर्रापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 25.06.2025 की शायं थाना इटियाथोक के उ0नि0 शम्भू तिवारी मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना के आधार पर पक्के बाबा मजार बहद ग्राम सिसई बहलोलपुर के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त कृष्णा कुमार चौरासिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अददद हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त कृष्ण कुमार चौरसिया उर्फ ननके द्वारा बताया गया कि उसने हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को लगभग डेढ़ माह पूर्व बाराबंकी कचहरी से चोरी किया था। थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**

01. कृष्ण कुमार चौरासिया उर्फ ननके पुत्र माता प्रसाद नि0 ग्राम नरौना भर्रापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0सं0–152/2025, धारा 317(2) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**अनावरित अभियोग–**

01. मु0अ0सं0–460/2016, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 बाराबंकी जनपद गोण्डा।

**बरामदगी–**

01. 01 अदद हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल।

**गिरफ्तार कर्ता टीम–**

01. उ0नि0 शम्भू तिवारी।
02. का0 अमित कुमार।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**<u>प्रेसनोट</u>**
**<u>दिनांक 26.06.2025</u>**

**<u>जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी मोहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिला पंचायत सभागार कक्ष में जनपद के समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, संभ्रान्त व्यक्तियों व धर्मगुरूओं के साथ की गयी सेंट्रल पीस कमेटी की बैठकः–</u>**

गोण्डा। आज दिनांक 26.06.2025 को आगामी मोहर्रम पर्व को शान्तिपूर्ण एवं सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभागार कक्ष में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से की गई। बैठक में जनपद के समस्त प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ–साथ विभिन्न धर्मगुरुओं, समुदाय के सम्भ्रान्त नागरिकों एवं शान्ति समिति के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान त्यौहार की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। संभ्रांत व्यक्तियों/धर्मगुरुओं से संवाद कर सुझाव लिए गए एवं अमल में लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। त्यौहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया गया। सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की गई। बैठक में सभी से संवाद करते हुए जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि मोहर्रम का पर्व आपसी भाईचारे, शांति और श्रद्धा का प्रतीक है। सभी समुदायों से अपेक्षा है कि वे इस पर्व को मिल–जुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। नगर पालिका व नगर पंचायत को त्यौहार के दृष्टिगत नालियों की साफ–सफाई व मलबों के उचित निस्तारण की व्यवस्था करने, पानी तथा बिजली की अनवरत आपूर्ती सुनिश्चित करने हेतु बताया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बैठक में निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया गया। उन्होने कहां कि ताजिया जुलूसों की निर्धारित मार्ग से ही संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी आयोजकों से रूट एवं समय निर्धारण की पुष्टि हेतु समयबद्ध रूप से सूचना मांगी गयी। सुरक्षा की दृष्टि से बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिले के सभी संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी कैमरों एवं इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से सतत निगरानी की जायेगी। त्योहारों में कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। त्यौहार परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। त्योहारों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही की जायगी। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि त्यौहार में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए है। पुलिस लोगों की सुरक्षा हेतु सजग एवं कटिबद्ध है, त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन/कार्यक्रम नहीं किए जायेगें। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर/पीए सिस्टम की ध्वनि माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइंस के अनुसार कम कर ली जाए, उसकी ध्वनि संबंधित धार्मिक स्थल के परिसर के बाहर नहीं जाए। साथ ही साथ महोदय द्वारा बताया गया कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस यात्रा नहीं निकाला जाएगा। मोहर्रम जूलूसों में भारी संख्या में लोग सम्मलित होते है। जूलूसों में सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से पुलिस प्रबन्ध किया जायेगा। जुलूस में बाक्स फार्मेट में

चारो तरफ आगे पीछे व दोनो तरफ पुलिस फोर्स की लगायी जायेगी। अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है , कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं, ताजियादारों एवं अन्य शांति समिति सदस्यों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे जनपद में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी पर विश्वास न करने की अपील अपने—अपने समुदाय से करेंगे।

**इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी, जनपद के विभिन्न पुलिस/प्रशासनिक अधिकारीगण सहित संभ्रांत व्यक्ति/धर्म गुरु मौजूद रहें।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**